SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

असंगठित श्रमिक : चुनौतियां एवं समाधान

मधुकर श्याम शुक्ल, (Ph.D.), अर्थशास्त्र विभाग
राम शंकर पाण्डेय, (Ph.D.), अर्थशास्त्र विभाग
एस. एस. पीजी कॉलेज, शाहजहांपुर, उत्तरप्रदेश, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Corresponding Authors
मधुकर श्याम शुक्ल, (Ph.D.), अर्थशास्त्र विभाग
राम शंकर पाण्डेय, (Ph.D.), अर्थशास्त्र विभाग
एस. एस. पीजी कॉलेज, शाहजहांपुर, उत्तरप्रदेश, भारत

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 14/04/2021
Revised on : -----
Accepted on : 21/04/2021
Plagiarism : 02% on 14/04/2021

Plagiarism Checker X Originality Report
Similarity Found: 2%

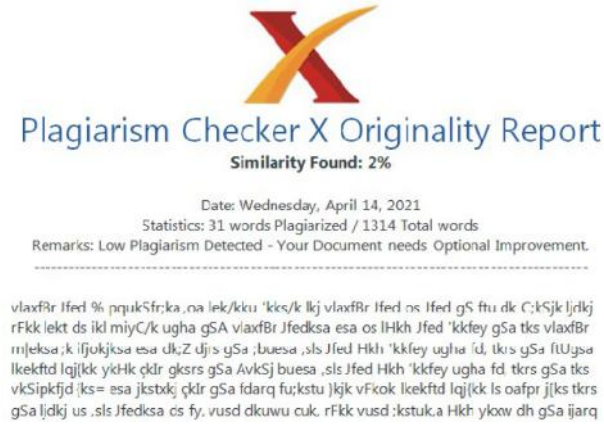

Date: Wednesday, April 14, 2021
Statistics: 31 words Plagiarized / 1314 Total words
Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

vlaxfBr Jfed % pqukSfr;ka ,oa lek/kku 'kks/k lkj vlaxfBr Jfed os Jfed gS ftu dk C;kSjk ljdkj rFkk lekt ds ikl miyC/k ugha gSA vlaxfBr Jfedksa esa os lHkh Jfed 'kkfey gSa tks vlaxfBr m|eksa ;k ifjokjksa esa dk;Z djrs gSa ;buesa ,sls Jfed Hkh 'kkfey ugha fd, tkrs gSa ftUgsa lkekftd lqj{kk ykHk çkIr gksrs gSa AvkSj buesa ,sls Jfed Hkh 'kkfey ugha fd, tkrs gSa tks vkSipkfjd {ks= esa jkstxkj çkIr gSa fdarq fu;kstu }kjk vFkok lkekftd lqj{kk ls oafpr j[ks tkrs gSa ljdkj us ,sls Jfedksa ds fy, vusd dkuwu cuk, rFkk vusd ;kstuk,a Hkh ykxw dh gSa ijarq

शोध सार

असंगठित श्रमिक वे श्रमिक है जिन का ब्यौरा सरकार तथा समाज के पास उपलब्ध नहीं है। असंगठित श्रमिकों में वे सभी श्रमिक शामिल हैं जो असंगठित उद्यमों या परिवारों में कार्य करते हैं। इनमें ऐसे श्रमिक भी शामिल नहीं किए जाते हैं जिन्हें सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त होते हैं, और इनमें ऐसे श्रमिक भी शामिल नहीं किए जाते हैं जो औपचारिक क्षेत्र में रोजगार प्राप्त हैं किंतु नियोजन द्वारा अथवा सामाजिक सुरक्षा से वंचित रखे जाते हैं। सरकार ने ऐसे श्रमिकों के लिए अनेक कानून बनाए तथा अनेक योजनाएं भी लागू की हैं, परंतु इन लोगों को सरकारी योजनाओ का लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि इनका रिकॉर्ड सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। ऐसे श्रमिक सरकार के लिए चुनौती हैं, अब देखना है कि इस चुनौती का सामना सरकार कैसे करेगी।

मुख्य शब्द

असंगठित, श्रमिक, उद्यमो, सामाजिक सुरक्षा, श्रमिक, रोजगार चुनौती.

प्रस्तावना

भारत में श्रम का बहुत अधिक महत्व है। श्रम का प्रभाव प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिलता है। यहां कुल श्रम का 85 प्रतिशत असंगठित कामगार है। श्रम मंत्रालय के अनुसार देश में लगभग 47 करोड श्रमिक असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। असंगठित क्षेत्र में रोजगार को कुल रोजगार में से संगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों की संख्या को घटाकर प्राप्त किया जाता है। इस क्षेत्र में ठेका श्रमिक, बाल श्रमिक, महिला श्रमिक, हाथ से मैला उठाने वाले श्रमिक, घरों में कार्य करने वाले स्त्री पुरुष शामिल हैं। इनकी अनेक समस्याएं जैसे अनिश्चित रोजगार

नियोक्ता कर्मचारी संबंध का अभाव, अधिक समय तक कार्यस्थल पर रुकना, सामाजिक सुरक्षा आदि है। सरकार का प्रयास है कि ऐसे श्रमिकों को मुख्यधारा से जोड़ा जाए ताकि उनका उत्थान हो तथा वे भी समाज में अपना सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें।

अध्ययन का उद्देश्य

समाज के प्रत्येक क्षेत्र में असंगठित श्रमिकों की समस्याएं हैं उन्हें पल–पल परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इनके अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

1. असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण कराना।
2. सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का इनको लाभ मिल रहा है अथवा नहीं यह पता करना।
3. असंगठित श्रमिकों की सामाजिक स्थिति कैसी है।
4. असंगठित श्रमिकों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का अध्ययन करना।
5. असंगठित श्रमिकों की समस्याएं कैसे दूर की जाए इस बात का पता लगाना।

अध्ययन पद्धति

असंगठित श्रमिको की चुनौतियां एवं समाधान विषय पर किए जाने वाले अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों का का प्रयोग किया जाएगा।

प्राथमिक स्रोत

1. असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों/छोटे के ठेकेदारों के साथ व्यक्तिगत साक्षात्कार से
2. श्रम विभाग तथा नियोक्ता के बीच बातचीत।
3. असंगठित श्रमिक संगठनों के साथ बातचीत करना।

द्वितीयक स्रोत

1. श्रम विभाग में पंजीकरण श्रमिकों की संख्या।
2. केस स्टडी।

असंगठित श्रमिकों की परिभाषा

केंद्रीय सांख्यिकी संगठन असंगठित या अनौपचारिक क्षेत्र की परिभाषा में ऐसे उद्यमों को शामिल करता है जिनमें बिजली का प्रयोग नहीं किया जाता है, तथा 20 से अधिक कर्मचारी कार्य न करते हो। ऐसे उद्योग में कार्यरत् श्रमिक किसी कानून के अंतर्गत पंजीकृत नहीं होते हैं। असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 में असंगठित कर्मकार को घरों में कार्य करने वाले श्रमिक, स्वरोजगार में लगे लोग जो कि अधिनियम की अनुसूची दो में उल्लेखित अधिनियम के अंतर्गत शामिल नहीं हैं। इन क्षेत्रों में उन श्रमिकों को शामिल किया जाता है जिनको रोजगार संबंधी कानून, श्रम कानून, सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्राप्त नहीं होता है।

श्रम मंत्रालय ने असंगठित कर्मचारियों को चार वर्गों में बांटा है:

1. छोटे किसान, भूमि कृषि श्रमिक, बटाईदार, मछुआरे, पशुपालन, बीड़ी उद्योग, भवन और निर्माण में लगे श्रमिक।
2. स्वरोजगार, बंधुआ मजदूर, प्रवासी श्रमिक तथा ठेकेदारी करने वाले श्रमिक।
3. सिर पर मैला ढोने वाले, पशु गाड़ियां चलाने वाले, माल ढुलाई के कार्य में लगे श्रमिक।
4. घरेलू कामगार महिला एवं बाल श्रमिक फल और सब्जियां बेचने वाले, अखबार विक्रेता, नाई आदि।

असंगठित श्रमिकों के विवादों का अध्ययन

असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के विवाद निम्नलिखित हैं:

1. भुगतान संबंधी विवाद।

2. कार्य समय/अतिरिक्त समय संबंधी विवाद
3. दुर्घटना या मुआवजे संबंधित विवाद।
4. शारीरिक शोषण संबंधी विवाद
5. मानसिक शोषण संबंधी विवाद।

असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 की प्रमुख विशेषताएं

सरकार ने असंगठित कामगार सुरक्षा अधिनियम 2008 पारित किया जो कि 16 मई 2009 से लागू कर दिया गया। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

1. जिला स्तर पर श्रमिकों की पहचान करना तथा उनका पंजीकरण कराकर स्मार्ट कार्ड जारी करवाना।
2. धारा 6 में राज्य स्तर पर ऐसे ही बोर्ड के गठन का प्रबंध है।
3. राष्ट्रीय बोर्ड में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं को पर्याप्त स्थान देना।
4. केंद्र सरकार को असंगठित कामगारों के विभिन्न वर्गों के लिए योजनाओं की सिफारिश करना, योजनाओं की निगरानी करना और केंद्र सरकार को सलाह देना।
5. योजनाओं के लिए वित्त की व्यवस्था करना।
6. केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री की अध्यक्षता में सदस्य सचिव, संसद सदस्यों, असंगठित कामगारों, असंगठित कामगारों के नियोक्ताओं, सिविल सोसाइटी, केंद्रीय मंत्रालय और राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले 34 नाम निर्देशित सदस्यों को शामिल करके राष्ट्रीय सुरक्षा बोर्ड का गठन करना।
7. राज्य सरकार के द्वारा असंगठित श्रमिकों के कल्याण हेतु योजनाएं बनाना।

असंगठित श्रमिकों के लिए चुनौतियां

संगठित/असंगठित क्षेत्र में कार्यरत असंगठित श्रमिकों के सामने बहुत अधिक चुनौतियां हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित है:

1. श्रमिकों की पहचान करके उनका पंजीकरण करवाना।
2. श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाना।
3. श्रमिकों को समाज की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए उन्हें स्वरोजगार हेतु वित्त कम ब्याज दर पर उपलब्ध कराना।
4. 2011 की जनगणना के अनुसार देश में लगभग 4500000 पथ विक्रेता हैं। शहरी बाजारों में से उनको हटाने के कारण छोटे किसान एवं छोटे उद्यमियों के लिए गंभीर संकट पैदा हो गया है, अतः उनको रोजगार हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए।
5. श्रमिकों से समय के अनुसार कार्य लेना।
6. श्रमिकों का समय पर भुगतान करना।
7. कार्यस्थल पर कोई दुर्घटना होने पर श्रमिकों को मुआवजा देना।
8. स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हेतु कानून बनाना।
9. श्रमिकों को समाज में सम्मान पूर्वक स्थान दिलवाना ।
10. महिला श्रमिकों हेतु अलग से शौचालय की व्यवस्था करना एवं महिला श्रमिकों के बच्चों के लिए अच्छी व्यवस्था करना।

असंगठित श्रमिकों हेतु कार्य योजनाएं

1. असंगठित क्षेत्र के लिए सुरक्षात्मक उपाय

1. 8 घंटे का कार्य दिवस निर्धारित करना।

2. सप्ताह में 1 दिन का अवकाश सवेतन देना।
3. असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी कानून के अधीन लाने की व्यवस्था करना।
4. स्त्री तथा पुरुषों को समान वेतन की व्यवस्था करना।
5. असंगठित क्षेत्र को मजदूर संघ बनाने का अधिकार देना।
6. दुर्घटना हेतु छतिपूर्ति की व्यवस्था करना।

2. न्यूनतम स्तर की सामाजिक सुरक्षा

राष्ट्रीय आयोग ने कृषि और गैर कृषि श्रमिकों के लिए अलग–अलग दो व्यापक सिफारिश की है:

a. **जीवन बीमा :** स्वाभाविक मृत्यु पर रू. 30000 या दुर्घटना के कारण मृत्यु या संपूर्ण अयोग्यता के लिए रू. 75000 की व्यवस्था।

b. **स्वास्थ्य बीमा :** प्रत्येक श्रमिक या उसके परिवार के सदस्यों के लिए अस्पताल के खर्चे के लिए रू. 15000 प्रति वर्ष की व्यवस्था ।

c. **वृद्धावस्था सुरक्षा :** गरीबी रेखा के नीचे सभी श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु होने पर रू. 200 प्रति माह की पेंशन।

3. सीमांत और छोटे किसानों के लिए पैकेज।
4. छोटे किसानों या सीमांत किसानों के लिए कम दर पर ऋण की व्यवस्था करना।
5. कौशल विकास द्वारा रोजगार–योग्यता को बढ़ावा देना।
6. स्वरोजगार द्वारा रोजगार का विस्तार करना।
7. गैर कृषि क्षेत्र में लगे श्रमिकों को ऋण हेतु प्रोत्साहित करके स्वरोजगार में लगाना।

निष्कर्ष

भारत के संविधान में नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, न्याय विचार, अभिव्यक्ति, राष्ट्र की गरिमा की गारंटी दी गई है। अनुच्छेद 19 में संघ बनाने का अधिकार और अनुच्छेद 23 और 24 में श्रम के प्रतिषेध और कारखानों आदि में बाल श्रम का प्रावधान है। देश की सरकार अनेक नई–नई योजनाएं बनाकर इन्हें अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान कर रही है ।

आज असंगठित/संगठित क्षेत्र में कार्यरत् असंगठित श्रमिकों के जीवन में अनेक प्रकार के बदलाव आए हैं परंतु उनके जीवन को और अधिक बेहतर बनाने के लिए अभी सरकार को बहुत कुछ करना होगा। सरकार के साथ स्वयंसेवी संस्थाओं तथा हम सभी पर दायित्व है कि इन श्रमिकों को समाज में इनका स्थान दिलाएं।

संदर्भ सूची

1. दत्त एवं सुंदरम, *भारतीय अर्थव्यवस्था*।
2. भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय वार्षिक रिपोर्ट 2018–19।
3. भारत सरकार. भारतीय श्रम आयोग का प्रतिवेदन।
4. श्रम एवं रोजगार की वेबसाइट।
5. जनगणना 2011 का अध्ययन।
6. योजना मासिक पत्रिका अक्टूबर 2014।
7. सिन्हा, वी. सी., *भारतीय आर्थिक समस्याएं*।
8. दैनिक समाचार पत्र, दैनिक जागरण, बरेली मंडल बरेली।
9. दैनिक समाचार पत्र, अमर उजाला, बरेली मंडल बरेली।
10. दैनिक समाचार पत्र, हिंदुस्तान, बरेली मंडल बरेली।

****